प्र.सं. 12 / दावा / प्र.पत्र / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/3/24	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मिलकिया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या.....01.........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या...01............
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट, तालेडा (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

नं0 / प्रा0पत्र / 2022	तारीख दायर 14.02.2022	तारीख फैसला 09.03.2024

मीना बाई उर्फ बिनराज मीणा पुत्री श्री महादेवा पत्नि श्री जुगराज मीना जाति मीना निवासी ग्राम देहित हाल निवासी ब्राह्मणो का मोहल्ला करवाला तहसील के. पाटन जिला बूंदी।

.......प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थिया:– श्री नंद सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थी:– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की पैतृक एवं पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 1958 रकबा 1.3112, खसरा संख्या 2098 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3661/2127 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.7357 हैक्टेयर वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थिया का हिस्सा 1/5 निहित है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर फोती इंतकाल खुलवाया गया तत्समय सहवन से प्रार्थीया का नाम पिता महादेवा के उत्तराधिकारी सूची में मीना बाई दर्ज कर दिया गा जबकि प्रार्थीया का समस्त दस्तावेजात में जो कि लोक दस्तावेज है में नाम बिनराज मीणा लिखा हुआ है। प्रार्थीया को घर पर मीना बाई आम रूप से बोलचाल का नाम होने के कारण उत्तराधिकारी सूची में बिना ऑरिजनल दस्तावेजात पर गौर किये बगैर लिखवा दिया गया जिस समय फोती इंतकाल खोला गया तत्समय प्रार्थीया को जांच अधिकारी के द्वारा सुना नही गया यदि तत्समय भू.अभि.निरीक्षक के द्वारा उत्तराधिकारी जांच के दौरान प्रार्थीया को सुना जाता तो राजस्व रिकार्ड में उक्त त्रुटि नही हो पाती तथा प्रार्थीया स्वयं का लोक दस्तावेज में वर्णित बिनराज मीणा ही लिखवाती। प्रार्थीया ने कई मर्तबा तहसीलदार तालेडा से पार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मीना बाई के स्थान पर बिनराज मीणा दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा आज दिन तक नाम संशोधन करने बाबत् कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गयी जिस कारण प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर लोन प्राप्त करने कृषि भूमि का विकास करने, हस्तांतरण करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण आज से लगभग 15 दिन पूर्व तहसीलदार तालेड़ा ने प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मीना बाई के स्थान पर बिनराज मीणा दर्ज करने से इनकार कर दिया तब से उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का नाम मीना बाई के स्थान पर बिनराज मीणा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड ख0सं0 1958 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, ख0सं0 3661/2137 रकबा 0.2914 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 1. 6026 हैक्टे. वाके ग्राम देहित पटवार हल्का देहित में खातेदार मीनाबाई पुत्री महादेवा जाति मीणा ग्राम देहित अंकित है। मौका अनुसार ग्राम देहित में जांच की गई एवं प्रार्थिया के दस्तावेज की जांच की गई। मुताबिक दस्तावेज प्रार्थिया का नाम बिनराज मीणा दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान् इस नाम और वल्दियत की अन्य कोई महिला इस ग्राम में निवास नही करती है। ये दोनो नाम एक ही महिला के है। तहसीलदार तालेडा ने नाम संशोधन की अनुशंषा की है। पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार मीना बाई को बिनराज मीणा करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थिया द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो एवं राजस्व कार्मिको के द्वारा सहवन व गलती से फोती नामान्तकरण के समय प्रार्थिया का नाम घर में बोले जाने वाले नाम मीनाबाई ही अंकित कर दिया था जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थिया के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

...हस वकील प्रार्थिया सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न ...र्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 नया 258 पुराना 218 1958 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, ...0 3661/2137 रकबा 0.2914 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.6026 हैक्टे. वाके ग्राम देहित पटवार ...का देहित के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में मीनाबाई पुत्री महादेवा ही अंकित है। किन्तु प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड सं0 3470 1489 6206 का अवलोकन करने एवं तहसीलदार तालेड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मीनाबाई एवं बिनराज मीणा एक ही महिला है एवं दौराने रेकार्ड मे अमल दरामद प्रार्थिया के परिवारजन द्वारा प्रार्थिया का नाम बोलते नाम पर मीनाबाई अंकित करवा दिया जबकि प्रार्थिया का सही नाम बिनराज मीणा था। मौका रिपोर्ट अनुसार भी मीनाबाई एवं बिनराज मीणा नाम का ग्राम देहित मे एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है जिसकी वल्दियत एक हो। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड,एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में 2076 खाता सं0 नया 258 पुराना 218 खसरा संख्या 1958 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, ख0सं0 3661/2137 रकबा 0.2914 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.6026 हैक्टे. वाके ग्राम देहित पटवार हल्का देहित मे प्रार्थिया के नाम मीनाबाई पुत्री महादेवा के स्थान पर मीनाबाई उर्फ बिनराज मीणा पुत्री महादेवा संशोधित किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या....01..........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या....01..........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेड़ा (बून्दी)